<u>सं. डीएसटी/02/2022 – स्था.</u>III

भारतसरकार

विज्ञानऔरप्रौद्योगिकीमंत्रालय

विज्ञानऔरप्रौद्योगिकीविभाग

<u>विज्ञापनसं. डीएसटी/02/2022 – स्था.III</u>

बर्लिन, जर्मनीमेंभारतीयमिशनऔरटोक्यो, जापानमेंभारतीयमिशनमेंवैज्ञानिकअताशे, समूह'क' राजपत्रितके'02' (दो) पदों,प्रत्येक में एक-एकपद कोप्रतिनियुक्ति (अल्पकालिकअनुबंधसहित) आधारपरभरनेकेलिएआवेदनआमंत्रितकिएजातेहैं।.

1. वेतन मैट्रिक्स में स्तर:	37400-67000 रू.+ ग्रेड पे 8900 रू. (पी बी-4) (संशोधन-पूर्व) स्तर 13 क (1,31,100-2,16,600रू.) (संशोधित)
2.भर्ती की पद्धति:	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिसंविदा सहित)
3. पद की प्रकृति:	अस्थायी
4. प्रतिनियुक्ति की अवधि :	तीनवर्ष.

1. **<u>पात्रता</u>**

केन्द्रीयसरकारयाराज्यसरकारयाविश्वविद्यालयोंयामान्यताप्राप्तअनुसंधानसंस्थानोंयाअर्धसरकारीयासांविधिकयाभारतयाविदेशस्थितस्वायत्तसंगठनमेंकार्यरतवैज्ञानिकयाप्रौद्योगिकीविद:

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर सेवारत हों अथवा

(ii) जिन्होंनेवेतनमैट्रिक्सके स्तर-13 (रू.1,18,500-2,14,100) यासमतुल्यमेंमूलसंवर्गयाविभागमेंनियमितआधारपरपदासीनहोकरदोवर्षकीसेवाप्रदानकीहो; अथवा

(iii) जिन्होंनेवेतनमैट्रिक्सके स्तर-12 (रू.78,800-2,09,200) यासमतुल्यमेंनियमितआधारपरमूलसंवर्गअथवाविभागमेंछहवर्षकीसेवाप्रदानकीहो;और

(ख) जो नीचे विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों:-

<u>अनिवार्यअर्हताएंऔरअनुभव:</u>

I. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य संस्थान से प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञान में डॉक्टरेटडिग्री या अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा मेडीसिन में निष्णातडिग्री;

II. औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों अथवा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठनों में अनुसंधान तथा विकास में अथवा वैज्ञानिक कार्यकलापों एवं सेवाओं में बारहवर्षों का अनुभव जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, आयोजना विकास तथा सहयोगके क्षेत्र में प्रबंधकीय क्षमता का छह वर्षों का अनुभवआवश्यक होगा।

III. स्नातक और उत्तरवर्ती स्तर पर विज्ञान विषयों से प्राकृतिक विज्ञान, गणित, सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर विज्ञान का कम से कम एक विषय होना चाहिए।

-/-

<u>वांछनीयअर्हताएंऔरअनुभव:</u>

I. अंग्रेजी के अतिरिक्त आधुनिक यूरोपीय या जर्मन या रूसी या जापानी भाषा का ज्ञान;

II. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से प्राकृतिक या कृषि विज्ञान में पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री या अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी या चिकित्सा में डॉक्टरेट की डिग्री जो ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान के प्रमाणन से साक्ष्यांकित हो और साइंस साइटेशन इंडेक्स (एससीआई) पत्रिकाओं में अनुसंधान कार्य का प्रकाशन।

III. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर विषयक क्षेत्र में व्यापक अनुभव जिसमें प्रतिलिप्यधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट और आविष्कार को महत्व दिया गया हो।

टिप्पणी

:केंद्रसरकारकेउसीयाकिसीअन्यसंगठनयाविभागमेंइसनियुक्तिसेठीकपहलेधारितअन्यसंवर्ग-बाह्यपदपरप्रतिनियुक्तिकीअवधिसहितप्रतिनियुक्तिकीअवधिसाधारणतयाचारवर्षसेअधिकनहींहो

गी।प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिसंविदासहित) द्वारानियुक्तिकेलिएअधिकतमआयुसीमाआवेदनकीप्राप्तिकीअंतिमतारीखकीस्थितिकेअनुसारछप्पनवर्षसेअधिकनहींहोगी।

आयुसीमा: ऊपरीआयुसीमाआवेदनप्राप्तिकीअंतिमतारीखको56 वर्षसेअधिकनहींहोगी।

6. **कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व:**

(i) संयुक्त सहयोग कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का अनुवर्तन करना ।

(ii) द्विपक्षीय सहयोग के लिए संभावित नए क्षेत्रों का सुझाव देना ।

(iii) भारत के हित के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रत्यायित देशों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई नवीनतम प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

(iv) भारत स्थित विभिन्न वैज्ञानिक एजेंसियों द्वारा प्रत्यायित देशों में प्रत्यायोजित सरकारी कार्यों को करना ।

(v) प्रत्यायित देशों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नए नीतिगत निर्णयों और संबंधित पहलुओं के बारे में भारत सरकार को अवगत कराना ।

(vi) प्रत्यायित देशों में कार्यरत/बसे भारतीय वैज्ञानिकों का रोस्टर तैयार करना और उनके साथ संपर्क बनाए रखना।

(vii) भारतीय वैज्ञानिकों से प्राप्त होने वाले अनुरोधों पर कार्रवाई करना।

(viii) भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्रियाकलाप संबंधी जानकारियों के लिए नाभीय केंद्र के रूप में कार्य करना।

(ix) प्रत्यायित देशों में स्थापित संपर्कों के माध्यम से अन्य देशों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

(x) अनुसंधान प्रयोगशालाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि से विज्ञान और प्रौद्योगिकी अधिकारियों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिष्टमंडलों, वैज्ञानिकों के दौरों के आयोजन में समन्वयन एवं सहायता करना।

(xi) सामान्यतः प्रत्यायित देशों में संबंधित सरकारी कार्यालयों, आर एंड डी संस्थाओं, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं आदि के साथ संपर्क माध्यम के रूप में कार्य करना।

7. <u>सामान्य</u>

क. विभाग के पास नियुक्ति को कोई कारण बताए बिना किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

ख. विहित अनिवार्य अर्हताएं न्यूनतम हैं और उक्त अर्हताएं धारित करने मात्र से कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने का हकदार नहीं होगा। यदि विज्ञापन के उत्तर में बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होंगे तो सुनिर्धारित मानदंडों जिनमें वांछनीय अर्हताएं होना और/या विज्ञापन में विहित अनुभव होना और/अथवा विभाग की विशिष्ट अपेक्षा के अनुरूप किसी क्षेत्र विशेष में अर्हताएं/अनुभव रखना शामिल होगा, के आधार पर विभाग द्वारा लघुसूचीयन प्रक्रिया के जरिए साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तर्कसंगत रूप में सीमित रखी जाएगी। साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाएगए/नियुक्ति हेतु नहीं चयन किए गए अभ्यर्थियों से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

किसीप्रकार की संयाचना करने से अभ्यर्थिता निरर्ह हो जाएगी।

ग. मुख्यालय से बाहर के अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु इस विभाग मेंबुलाए जाने की स्थिति में, यह विभाग केवल रेल टिकट आदि जैसे यात्रा के वैध साक्ष्य प्रस्तुत

किए जाने पर सीधी ट्रेन में प्रथम श्रेणी एसी-।।। कोच से आने-जाने का किराया प्रदान करेगा।

घ. केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ङ. चयनित अभ्यर्थी को भारत सरकार की अपेक्षानुसार कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है।

च. नियुक्ति के नियम समय-समय पर यथासंशोधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के का.ज्ञा.सं. 2/29/91-स्था (वेतन.।।) के अनुसार होंगे।

छ. चुने गए अभ्यर्थियों का वेतन नियुक्ति की तारीख को विदेशी प्रतिनियुक्ति वाले पदों के लिए लागू भारत सरकार के नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

ज. प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि सहित संविदा) आधार पर नियुक्ति हेतु किसी अभ्यर्थी की सिफारिश करते समय तलाशी-सह-चयन समिति दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित जीवनवृत्त का मूल्यांकन करेगी। पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बाद में अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

झ. इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए उनकी नियुक्ति की औपचारिकता पूरी होते ही या वर्तमान पदधारी के पद छोड़ते ही, जो भी बाद में हो, कार्यभार ग्रहण करना अपेक्षित है। तदनुसार अभ्यर्थियों से ब्रीफिंग/अभिविन्यास कार्यक्रम आदि के लिए उपलब्ध होने की प्रत्याशा की जाती है।

8. **<u>आवेदन करने का तरीका:</u>** आवेदन प्रक्रिया के दो स्तर हैं:

I. **<u>आनलाइन आवेदन प्रपत्र भरना</u>**

(क)पात्र अभ्यर्थी वैध ईमेल आईडी का उपयोग करते हुए ऑनलाइन पोर्टल https://recruitment.dst.gov.in/ के जरिए **केवल ऑनलाइन** आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हेतु यह ऑनलाइन पोर्टल एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि तक उपलब्ध रहेगा।

(ख) अभ्यर्थीकोऑन–लाइनआवेदनपत्रभरनेऔरप्रयोज्यप्रमाण–पत्र/दस्तावेजअपलोडकरनेहोंगे।आवेदनपत्रभरनेसंबंधीअनुदेशhttps://recruitment.dst.gov.inपरउपलब्धहैं।

टिप्पणी : 1विदेशीविश्वविद्यालय/संस्थाद्वाराजारीप्रमाण–पत्रभारतीयविश्वविद्यालयसंघ (एआईयू) नईदिल्लीद्वारासमतुल्यप्रमाणपत्र (पत्रों) केरूपमेंअवश्यप्रमाणितकियाजानाचाहिए।तथापि,जहॉंएआईयूविदेशीविश्वविद्यालयोंद्वाराप्रदत्तऐसीविषयगतवृत्तिकउपाधियोंकीसमतुल्यताकाआवेदनस्वीकारनहींकरताहैजोएआईयूकेकार्यक्षेत्रसेइससमयबाहरहैंऔरजहॉंऐसेमामलोंकानिपटारासंबंधितवृत्तिकपरिषदों (भारतसरकारद्वारामान्यताप्राप्त) द्वाराकियाजाताहै,वहॉंआवेदककोऐसीवृत्तिकपरिषदद्वाराजारीसमतुल्यताप्रमाण–पत्रअपलोडकरनाजरूरीहै।आवेदकको,अपनेसभीमूलप्रमाण–पत्रोंको,जबकभीअपेक्षितहो,प्रस्तुतकरनाहोगा।

टिप्पणी 2 : यदिआवेदकराज्यसरकार /पीएसयू/स्वायत्तसंगठन/विश्वविद्यालयआदिमेंइससमयकार्यकररहाहो,जहॉंवेतनमानकेन्द्रसरकारकेवेतनमानकेसमाननहींहै,वहॉंआवेदककोराजपत्रअधिसूचना/सरकारीआदेशकोअपलोडकरनाहोगा,जिसमेंराज्यसरकार/पीएसयू/स्वायत्तसंगठन/विश्वविद्यालयआदिकेऐसेवेतनमानकोकेन्द्रसरकारकेसातवेंकेन्द्री

यवेतनआयोगकेतदनुरूपवेतनमान/स्तरकेसमानकरदियागयाहो।इससंबंधमें,ऐसीसमतुल्यताप्रदानकरने कादायित्वआवेदककाहोगाऔरऐसेमामलोंमेंविभागकानिर्णयअंतिमएवंबाध्यकारीहोगा।

II. **आवेदनपत्रकीहार्डकॉपीकोपंजीकृतअथवास्पीडपोस्टद्वाराप्रस्तुतकरना** :

(क) आवेदककोकम्प्यूटरसेतैयारआवेदनकीहार्डकॉपी) आवेदकद्वाराविधिवतहस्ताक्षरित (प्राप्तकरनीचाहिए।अनुलग्नदस्तावेज/प्रमाण-पत्रकेप्रिंटआउटकोआवेदनकीहार्डकॉपीकेसाथअग्रेषितकियाजानाअपेक्षितनहींहै।

(ख)

सरकारीविभागों/सार्वजनिकक्षेत्रकेउपक्रमों/स्वायत्तसंगठनों/विश्विद्यालयों/मान्यताप्राप्तअनुसंधानसंस्थानोंमेंकार्यरतआवेदककोउचितमाध्यमसेआवेदनकरनाचाहिए।ऐसेआवेदनोंपरतबविचारकियाजाएगाजबवे विहितसंरूप (संलग्नक–I) मेंसक्षमप्राधिकारीद्वाराविधिवतरूपसेहस्ताक्षरितप्रमाण–पत्रकेसाथ**उचितमाध्यमसे**निर्धारितसमय–सीमाकेभीतरप्राप्तहोंगे।

(ग)

अंतिमतिथिकेबादप्राप्तआवेदनपर**विचारनहींकियाजाएगा**,भलेहीऑनलाइनआवेदनअंतिमतारीखकेपहलेभरा गयाहो।इसप्रकारआवेदककीयहजिम्मेदारीहैकिवहअपनेविभाग/संगठनमेंअपनेआवेदनकाअनुवर्तनकरेऔर यहसुनिश्चितकरेकिउसकाआवेदनहरप्रकारसेपूर्णहैऔरउसकेसक्षमप्राधिकारीद्वाराविधिवतरूपसेसत्यापितहै , औरवहआवेदनइसविभागकोनिर्धारितसमय–सीमाकेभीतरप्राप्तहुआहै।इसकेअतिरिक्त,किसीभीरूपमेंअधूराआवेदनसरसरीतौरपरअस्वीकारकरदियाजाएगा।डाकविभागद्वाराविलंबअथवासंबंधितअग्रेषणप्राधिकारीआदिद्वाराअग्रेषणमेंविलम्बसहितकिसीकारणवशआवेदनप्राप्तकरनेकीअंतिमतारीखकेबादप्राप्तआवेदनोंपरविचारनहींकियाजाएगा।**इससंबंधमेंकोईढीलनहीं**

दीजाएगी।

(घ)

आवेदकद्वाराविधिवतरूपसेहस्ताक्षरितआवेदनपत्रऔरविगतपांचवर्षोंकीएसीआर/एपीएआरकीअनुप्रामणितप्रतियांऑन-लाइनपोर्टलबंदहोनेकीअंतिमतारीख (अर्थातएम्पलॉयमेंटन्यूज/रोजगारसमाचारमेंइसविज्ञापनकेप्रकाशनकीतारीखसे 30 दिन) से 15 दिनोंकेभीतर (असम,मेघालय,अरूणाचलप्रदेश,मिजोरम,मणिपुर,नगालैंड,त्रिपुरा,सिक्किम,लद्दाख,हिमाचलप्रदेशकेलाहौलएवंस्पीतिजिलेऔरचम्बाजिलेकेपांगीअनुमंडल,अंडमानएवंनिकोबारद्वीपसमूहऔरलक्ष्यद्वीपकेअभ्यर्थियोंकेलिए 30 दिन) **अवरसचिव, (स्थापना-III) विज्ञानऔरप्रौद्योगिकीविभाग,टेक्नोलॉजीभवन,न्यूमहरौलीरोड,नईदिल्ली-110016 कोअग्रेषितकिएजासकतेहैं।आवेदकोंकोसलाहदीजातीहैकिवेआवेदनकोसाधारणडाकअथवाकुरियरसेनहींभेजें।**

(ङ)

जोआवेदकवाशिंगटनऔरमॉस्कोमेंवैज्ञानिकअताशेकेदोनोंपदकेलिएआवेदनकरनाचाहतेहैंवेअपनाअधिमानक्रमइंगितकरें।

(च)

निर्धारितसमयऔरतारीखकेभीतरप्राप्तआवेदनोंकीसूचीआवेदनप्राप्तकरनेकीअंतिमतारीखकेबादडीएसटीकीवेबसाइटपरडालीदीजाएगी।अभ्यर्थियोंकोसलाहदीजातीहैकिवेअपनेआवेदनोंकीस्थितिकीजांचकरलें।इससंबंधमेंकोईभीअभ्यावेदन (निर्धारितसमय-सीमाकेभीतरप्राप्तआवेदनोंकीसूचीमेंनामशामिलनहींहोनेकेसंबंधमें) निर्धारितसमय-

सीमाकेभीतरविज्ञानऔरप्रौद्योगिकीविभागमेंआवेदनजमाकरनेसंबंधीप्रयोज्यसाक्ष्यकेसाथवेबसाइटपरसूची डालनेकीतारीखकेसातदिनोंकेभीतरदाखिलकियाजासकताहै।

आवेदनोंकीअग्रिमप्रतियांस्वीकारनहींकीजाएंगी।

(जे.शिवरामकृष्णन)
अवरसचिव,भारतसरकार

अनुलग्नक–I

<u>प्रमाण–पत्र</u>

(संगठन/कार्यालयप्रमुखद्वाराजारीकियाजाए)

i. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... ने दिनांक .... को इस संगठन में .... पद पर कार्य भार ग्रहण किया और .... पद पर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं/रही हैं।

ii. प्रमाणित किया जाता है कि इनके विवरणों को सत्यापित कर लिया गया है और सही पाया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कोई अनुशासनिक/सतर्कता कार्यवाही अधिकारी के विरुद्ध लंबित अथवा अवेक्षित नहीं है। अधिकारी की सत्यनिष्ठा भी प्रामाणित है।

iii. श्री/ श्रीमती/सुश्री .... के आवेदन की अनुशंसा की जाती है। उनका चयन हो जाने पर विभाग/संगठन उन्हें भारमुक्त कर देगा।

iv. विगत पांच वर्षो की एसीआर/एपीएआर की प्रतियां भी अनुलगन कर दी गई हैं।

संगठन/ कार्यालयप्रमुख
केहस्ताक्षरएवंकार्यालयकीमुहर

स्थान:
दिनांक: